निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	:	**श्री विजय किरन आनन्द,**
पदनाम	:	जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
निरीक्षित ग्राम सभा	:	**सांसद आदर्श ग्राम** , नबादा दरोबस्त, विकास खण्ड–खुदागंज, जनपद–शाहजहाँपुर।
निरीक्षण का दिनांक	:	26–04–2016

मेरे द्वारा दिनांक 26–04–2016 को सांसद आर्दश ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम नबादा दरोबस्त, विकास खण्ड–खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री अजयप्रकाश, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, डा0. कमल कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी, श्री विजय त्रिवेदी, तहसीलदार–तिलहर, श्री राजकुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी–खुदागंज एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सांसद आर्दश ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम नबादा दरोबस्त, विकास खण्ड–खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर दो राजस्व ग्राम व कुल 06 मजरे मजरे सम्मिलित हैं। उक्त बैठक में दोनों मजरों से मिलाकर कुल लगभग 1000 से अधिक ग्रामवासी मौजूद रहे। वर्ष 2011 के आंकड़ों के आधार पर ग्राम नबादा दरोबस्त की जनसंख्या कुल 2046 है, जो कि कुल 334 परिवारों से हैं। ग्राम नबादा दरोबस्त का भौगोलिग क्षेत्रफल 900.405 हे0 है। ग्राम में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या 06 है। इस ग्राम सभा को वर्ष 14–15 के लिए आदर्श सांसद ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है।

ग्रामवासियों को शासन द्वारा संचालित होने वाली विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी गयी एवं इसके अतिरिक्त विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने विभागीय कार्यक्रमों/लक्ष्य एवं वर्तमान प्रगति की जानकारी उपस्थित ग्रामीणों को दी गयी। ग्राम पंचायत अधिकारी, अवर अभियन्ता विद्युत, प्रभारी चिकित्साधिकारी, लेखपाल, खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार उप जिलाधिकारी आदि के मोबाइल नम्बर बड़े–बड़े अक्षरों में विद्यालय की दीवार/पंचायत पर वाल पेन्टिंग द्वारा लिखवाये जाने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारी को दिए गए ।

निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों से ग्राम विकास अधिकारी एवं लेखपाल के नियमित रूप से ग्राम में आने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनों कर्मचारियों के ग्राम में उपस्थित होने हेतु कोई भी दिन निश्चित नहीं है। तहसीलदार–तिलहर एवं खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल अपने–अपने कर्मचारी का रोस्टर निर्धारित करें और सप्ताह में कम से कम एक दिन निश्चत करें तथा उक्त निर्धारित दिवस पर ग्राम विकास अधिकारी व लेखपाल अनिवार्य रूप से ग्राम में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर ग्रामवासियों के साथ बैठक कर समस्याओं को सुने और उनका यथासम्भव निराकरण कराएं यदि कोई समस्या किसी अन्य विभाग अथवा अधिकारी से सम्बन्धित हो तो अविलम्ब उससे उन्हें अवगत कराकर समस्या का निराकरण कराएं। तदोपरान्त मध्याह्न 12.00 बजे से 02.00 तक ग्राम में भ्रमण कर अपने–अपने से सम्बन्धित कार्यों को चिन्हित कराकर उन्हें सम्पादित कराएं।

<u>सम्पर्क मार्ग :–</u>

ग्राम पंचायत नबादा दरोबस्त पंहुचने हेतु खुदागंज से लेकर ग्राम तक का मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण है, जिस पर आवागमन अत्यन्त दुलर्भ है। उक्त से स्पष्ट है कि गढ्ढा युक्त एवं क्षतिग्रस्त मार्ग से ग्रामीणों को आने–जाने में अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा होगा। अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 को निर्देशित किया गया कि वह मार्ग की आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व प्रत्येकदशा में मार्ग की मरम्मत कराकर आवागमन सुचारू करायें। यदि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अथवा लपारवाही परिलक्षित होती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, शाहजहॉपुर।)

<u>विद्युतीकरण :–</u>

ग्राम पंचायत नबादा दरोबस्त में निरीक्षण के दौरान विद्युतीकरण कार्य की समीक्षा की गई। अधिशासी अभियन्ता–विद्युत द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में आधे ग्राम में विद्युतीकरण हुआ था तथा वर्तमान में पूरे ग्राम में विद्युतीकरण का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। ग्राम के कुल 06 मजरों मे से मात्र 03 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य हुआ है। अधिशासी अभियन्ता–विद्युत को निर्देशित किया गया कि आगामी 15 दिवस के भीतर सभी मजरों को विद्युतीकृत कराकर कृत कार्यवाही से अवगत कराएं।

ग्राम में विद्युत कनेक्शनों के सम्बन्ध में जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि ग्राम में कुल 50 विद्युत कनेक्शन है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। ग्रामवासियों से जानकारी करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि गांव में बिजली 06 घण्टे ही आती है। ग्राम में स्पष्ट हुआ कि अधिकांश ग्रामवासी अवैध रूप से कटिया डालकर विद्युत चोरी की जा रही है। बैठक के दौरान ग्रामवासियों से विद्युत कनेक्शन लिये जाने की अपील की गयी कि वह विद्युत कनेक्शन लेने के उपरान्त ही विद्युत का उपभोग करें। अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तिलहर को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तिथि 30.04.2016 (शनिवार) को ग्राम में शिविर लगाकर ग्रामवासियों को विद्युत कनेक्शन वितरण करायें साथ ही गांव में अधिक से अधिक विद्युत कनेक्शन लेने हेतु ग्रामवासियों को प्रेरित करें। यदि ग्रामवासियों द्वारा उसके उपरान्त कटिया डाल कर विद्युत चोरी की जाए तो उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कठोर विधिक कार्यवाही की जाए।

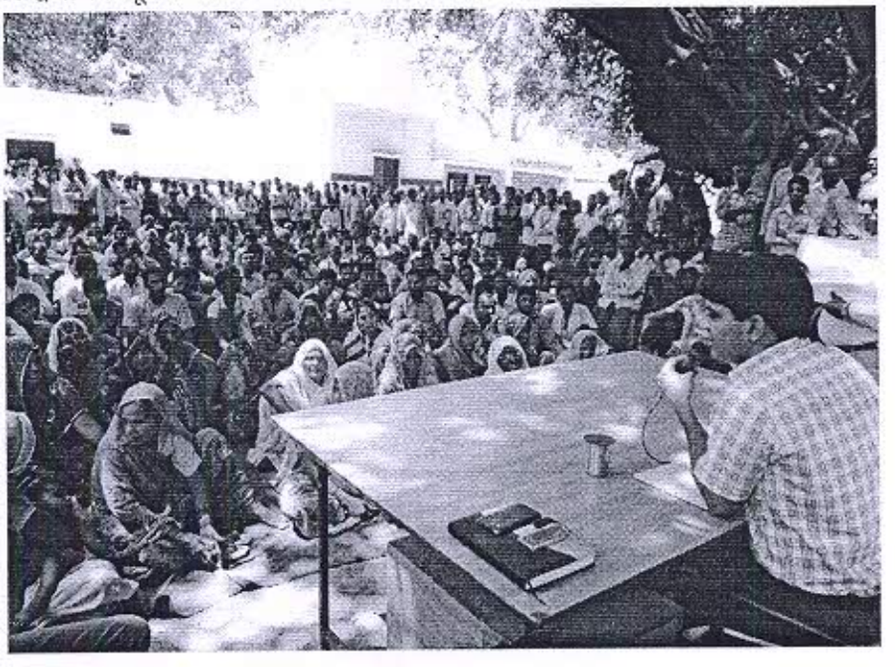

ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि स्कूल के ऊपर से 11000 के0वी की विद्युत लाईन संचालित है, जिससे सदैव कोई अप्रिय घटना घटित होने की सम्भवना बनी रहती है। अधिशासी अभियन्ता–विद्युत को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल संबंधित ठेकेदार को बुलवाकर अविलम्ब हाईटेंशन विद्युत लाइन हटवाना सुनिश्चित करें तथा इसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता अथवा लापरवाही को गम्भीरता से लिया जाएगा।

सी0सी0रोड / के0सी0ड्रेन :–

ग्राम में भम्रण के दौरान निर्मित की गयी सी0सी0मार्गो व के0सी0ड्रेन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत नबादा दरोबस्त में कुल 76 गलियाँ प्रस्तावित है, जिसमें से कुल 61 गलियां कच्ची तथा 14 खड़ंजे हैं। खण्ड विकास अधिकारी–खुदागंज को निर्देशित किया गया कि वह अवगत कराएं कि विगत 05 वर्षों में कुल कितनी धनराशि ग्राम विकास निधि में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिससे अभी भी इतनी अधिक संख्या में गलियां कच्ची हैं। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी स्पष्ट नहीं कर सके कि विगत 05 वर्षों में उक्त ग्राम सभा हेतु कितनी धनराशि उवलब्ध कराई गई है। खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह सांयकाल तक वर्षवार विवरण उपलब्ध कराएं कि विगत 05 वर्षों में कितनी धनराशि ग्राम निधि खाते में उपलब्ध हुई तथा उसका क्या उपयोग हुआ । अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण

अभियंत्रण सेवा द्वारा अवगत कराया गया उक्त सभी गलियों के सीसी एवं के0सी0ड्रेन हेतु 243.92 लाख रूपये का आगणन तैयार कराया गया है। अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए धनराशि प्राप्त कर सभी गलियों को आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलॉकिंग करायें तथा के0सी0ड्रेन बनाकर ग्राम में आवागमन सुलभ कराएं। (कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0अभि0से0, शाहजहॉपुर।)

स्वच्छ शौचालय :–

ग्राम में भम्रण के दौरान सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराय गया कि इस राजस्व ग्राम नबादा दरोबस्त में कुल 132 स्वच्छ शौचालय वर्ष 2014–15 के दौरान बनाये गये है। निरीक्षण के दौरान गांव में भम्रण कर बनाये गये शौचालयों को देखा गया गांव में शौचालय मानक के अनुरूप नहीं पाये गये है किसी भी शौचालय में रोशनदान अथवा खिड़की की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अधिकांश शौचालय में दरवाजे आदि नहीं लगे पाये गये तथा जिन शौचालय में दरवाजे लगे है उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अतः ग्राम में शौचालय की स्थिति असन्तोषजनक पायी गयी। ग्राम में जानकारी करने पर स्पष्ट हुआ कि अभी भी गांव में 218 शौचालय स्वीकृत हैं, जिन्हें बनवाया जाना अवशेष है। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह 15 दिन के भीतर अवशेष रह गये परिवारों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराकर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें। खण्ड विकास अधिकारी, खुदागंज को निर्देशित किया गया कि वह ग्राम में निगरानी टीम गठित कर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों को चिहिन्त करें तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करे। तहसीलदार–तिलहर को निर्देशित किया गया कि वह राजस्व विभाग की टीम के साथ कार्य करते हुए खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाएं।

(कार्यवाही– जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहॉपुर/तहसीलदार–तिलहर/ख0वि0अधि0–खुदागंज।)

आवास निर्माण :– इन्दिरा आवास योजना :–

ग्राम में भ्रमण के वर्ष 2014–15 में निर्मित किए गए इन्दिरा आवासों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम में वर्ष 2014–15 कुल 10 आवासों का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष पात्र पाए गए 02 लाभार्थियों को इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास प्रदान किए गए हैं। खण्ड विकास अधिकारी–खुदागंज द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनों लाभार्थियों की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह ग्राम में कैम्प कर पात्र लाभार्थियों का चयन कर इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– परियोजना निदेशक, जि0ग्रा0वि0अभि0, शाहजहॉपुर/खण्ड विकास अधिकारी–खुदागंज।)

स्वच्छ पेयजल :–

ग्राम में भ्रमण के दौरान ग्रामवासियों के पीने हेतु स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु कुल 56 हैण्डपम्प स्थापित हैं। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामवासियों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि सभी हैण्डपम्प कार्यरत हैं और सही हैं। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0जल निगम को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल सभी हैण्डपम्पों के पानी का परीक्षण कराएं कि उनका पानी पीने योग्य है अथवा नहीं तथा यह परीक्षण नियमित रूप से समय–समय पर कराया जाए। यदि किसी नल के पीने का पानी स्वच्छ अथवा पीने योग्य नहीं है, तो अवलिम्ब उसकी मरम्मत कर सही कराया जाए। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वह ग्रामवासियों से वार्ता कर उनको जानकारी उपलब्ध कराएं कि उनके द्वारा निजी रूप से लगाए गए हैण्डपम्पों के पानी को किसी भी दशा में पेयजल के लिए उपयोग मे न लाएं और सभी ग्रामवासी केवल इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के पानी को ही पेयजल हेतु उपयोग में लाने के लिए जागरूक करें।

ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह पेयजल की नियमित टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग किट ग्राम में ही सुरक्षित रखें और समय समय पर पेयजल का परीक्षण करें। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि वह अविलम्ब वाटर टेस्टिंग किट ग्राम में उपलब्ध कराएं और सभी ग्रामवासियों को अवगत कराया गया कि वह समय–समय पर वाटर टेस्टिंग अवश्य कराएं तथा वाटर टेस्टिंग में उपयुक्त पाये जाने पर ही पेयजल को उपयोग में लाएं। यदि किसी हैण्डपम्प का जल टेस्टिंग में पीने हेतु उपयुक्त न पाया जाए तो उसकी सूचना तत्काल अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को एवं खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं ताकि उसकी यथासमय मरम्मत करायी जा सके।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0जल निगम, शाहजहाँपुर/खण्ड विकास अधिकारी–खुदागंज।)

मनरेगा :–

ग्राम में निरीक्षण के दौरान मनरेगा कार्यों की समीक्षा के दौरान खण्ड विकास अधिकारी–खुदागंज द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में वर्तमान में मनरेगा के तहत कोई कार्य नहीं चल रहा है, और न ही कोई आंगणन तैयार किए गए हैं। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। पूर्व में वर्ष 2014–15 में मनरेगा के तहत कुल 2.10 लाख रुपये की धनराशि ही व्यय हुई है। जो कि अत्यन्त खेदजनक हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम में कृपया ग्राम में ग्रामीणों से जानकारी करने पर उनके

द्वारा अवगत कराया गया कि वह ग्राम में कार्य करने को तैयार है, किन्तु कोई कार्य नहीं मिल रहा है। अतः ग्राम में मनरेगा के अन्तर्गत कार्य सन्तोषजनक न पाये

जाने पर उपायुक्त श्रम रोजगार, शाहजहाँपुर को निर्देशित किया गया कि वह मनरेगा कार्य में रुचि लेते हुए अधिक से अधिक कार्यों का आंगणन तैयार कर कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में खण्ड विकास अधिकारी–खुदागंज एवं ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह सभी कार्य करने वाले श्रमिको का अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर । इसी क्रम में खण्ड विकास अधिकारी–खुदागंज को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल ग्राम में उप जिलाधिकारी–तिलहर से समन्वय स्थापित कर ग्राम का सर्वे कराएं और ग्राम में सावजर्निक सम्पत्तियों को चिहिन्त कर 10 दिवस के अन्दर कार्ययोजना अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके अन्तर्गत ग्राम में खेल का मैदान, तालाब का जीर्णोद्धार, खाउ के गड्ढे, चकरोडों पर मिट्टी कार्य, हैण्डपम्प स्थापन व अन्य आवश्य कार्य आदि सम्मिलित किये जाएं। खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व तकनीकी सहायक एवं रोजगार सेवक के द्वारा कम से कम 20 लाख रूपये का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। यदि इनके द्वारा 20 लाख की धनराशि तक व्यय नहीं की जाती है तो उक्त दोनों निलम्बित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह प्रत्येक सप्ताह रोस्टर निर्धारित करते हुए निर्धारित दिवस पर ग्राम में प्रातः 10.00 बजे 12.00 बजे तक ग्राम में बैठकर जन समस्याओं का निराकरण कराएं तथा 12.00 बजे से 02.00 बजे तक ग्राम का भ्रमण करें तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों को चिहिन्त कर उन पर मनरेगा के तहत कार्य करने का आगणन तैयार कर कार्य कराएं। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही को गम्भीरता से लिया जाएगा।

(कार्यवाही– उपायुक्त श्रम, शाहजहाँपुर/जि0पंचायतराज अधि0, शाह0/खण्ड विकास अधिकारी–खुदागंज।)

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय :–

खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस ग्राम पंचायत में कुल 04 प्राथमिक एवं 02 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तथा ग्राम में कुल 13 अध्यापक तैनात हैं। खण्ड शिक्षा अधिकारी खुदागंज द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में शिक्षा सत्र समाप्त हो चुका है। गत सत्र में सभी बच्चों को ड्रेस व पुस्तकें वितरित की गई थीं। इसके अतिरिक्त विद्यालय में नियमित रूप से बच्चों को मध्यह्न भोजन व सप्ताह में एक दिन (बुधवार) दूध वितरित किया जाता है।